न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –36/2021(2021/00093)

अनवान : –

सतबीर सिंह पुत्र दरिया सिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. दरिया सिंह पुत्र अमरचन्द जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
2. कृष्ण पुत्र दरिया सिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
3. जगदीश पुत्र दरिया सिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री सतवीर बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 05/04/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एएमएस सम्वत 2076–79 के वर्तमान खाता संख्या 48/2 के मुरब्बा न0 65 के किला न0 18/2, 19/1, 20/1, 21 ता 24, मु0 न0 74 के किला न0 1 ता 3, 7/2, 8, 9, 10/1, 12, 13 इस प्रकार कुल किता 16 की कुल 2.882 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 दरिया सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा अमरचन्द की खातेदारी हुआ करती थी। अमरचन्द के [illegible] प्रतिवादी दरिया सिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासत [illegible] प्रतिवादी दरिया सिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि [illegible] एवं प्रतिवादीगण की [illegible] पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। [illegible] भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

तन्हा प्रतिवादी दरिया सिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 दरिया सिंह को वादी के दादा अमरचन्द से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी चक 3 एएमएस सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 3/3 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सतबीर सिंह पुत्र दरिया सिंह जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 3 एएमएस सम्वत 2076–79 खाता संख्या 48/2 प्रदर्श 1, जमाबन्दी चक 3 एएमएस सम्वत 2068–71 के खाता संख्या 3/3 प्रदर्श 2, सदस्यता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत झांसल प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 3 एएमएस सम्वत 2076–79 के वर्तमान खाता संख्या 48/2 के मुरब्बा न0 65 के किला न0 18/2, 19/1, 20/1, 21 ता 24, मु0 न0 74 के किला न0 1 ता 3, 7/2, 8, 9, 10/1, 12, 13 इस प्रकार कुल किता 16 की कुल 2.882 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 दरिया सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना [illegible] है [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे [illegible] राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 सं0 36/21 अनुवान सतबीर सिंह बनाम दरियां सिंह धारा 88 आरटीएक्ट

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीमुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 एएमएस सम्वत 2076–79 के वर्तमान खाता संख्या 48/2 के मुरब्बा न0 65 के किला न0 18/2, 19/1, 20/1, 21 ता 24, मु0 न0 74 के किला न0 1 ता 3, 7/2, 8, 9, 10/1, 12, 13 इस प्रकार कुल किता 16 की कुल 2.882 हैक्टेयर नहरी मय रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 दरिया सिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, **उसमें वादी सतबीर सिंह व प्रतिवादी संख्या 1 दरिया सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 कृष्ण, प्रतिवादी संख्या 3 जगदीश कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/04/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.27 12:38:31 IST
Reason: SelfAttested